भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4414

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

तमिलनाडु में सौर पार्क

4414. श्री नवसकनी के.:

श्री जी. सेल्वमः

श्री सी. एन. अन्नादुरईः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में वर्तमान में प्रचालनरत सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है और उनका स्थान, स्थापित क्षमता, चालू होने का वर्ष और विद्युत उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अगले पांच से दस वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सौर ऊर्जा विस्तार के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के समग्र ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशिष्ट नीतिगत उपाय, वित्तीय प्रोत्साहन, अवसंरचना विकास परियोजनाएँ और संस्थागत सुधार कार्यान्वित किए जा रहे हैं या प्रस्तावित हैं; और

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में, विशेषकर सौर ऊर्जा समृद्ध जिलों में, सौर ऊर्जा अवसंरचना के विकास को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएँ या पहल शुरू की हैं या शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) "सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कोई सौर पार्क स्वीकृत नहीं है।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा सौर क्षमता स्थापना के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) सरकार ने देश में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रगतिशील उपाय किए गए हैं, जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ) सरकार, तमिलनाडु सहित देश भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। क्रियाशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

'तमिलनाडु में सौर पार्क' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4414 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रतिवर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

- दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) दिसंबर, 2030 तक चालू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए शुल्क माफ कर दिया गया है।

- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवादी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।

- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।

- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।

- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।

- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

'तमिलनाडु में सौर पार्क' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4414 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

<u>सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं की सूची</u>

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।

2. पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, एक करोड़ घरों के लिए रूफटोप सौर स्थापित करने और हर महीने 300 यूनिट तक प्रदान करने हेतु मुफ्त बिजली । तमिलनाडु राज्य में अब तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल 41,978 घरों को रूफटोप सौर स्थापित करने से लाभ प्राप्त हुआ है।

3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और ट्रांश-II) में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।

4. पीएम-कुसुम योजना विकेन्द्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना और फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए है। इस योजना से न केवल किसानों को बल्कि राज्यों और डिस्कॉम को भी लाभ होगा। तमिलनाडु राज्य को घटक-ए के अंतर्गत 14 मेगावाट क्षमता, घटक-बी के अंतर्गत 5,187 सौर पंप और घटक-सी (आईपीएस) के अंतर्गत 5,000 पंप आवंटित किए गए हैं। 31.07.2025 तक घटक-ए के अंतर्गत 3 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र तथा घटक-बी के अंतर्गत 4,260 सौर पंप स्थापित किए जाने की सूचना दी गई है। घटक-सी (आईपीएस) के अंतर्गत किसी भी स्थापना की सूचना नहीं मिली है।

5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

   सीपीएसयू योजना चरण-II के अंतर्गत, एनटीपीसी लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में क्रमशः 230 मेगावाट और 10 मेगावाट सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं चालू की हैं।

6. प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गाँवों के लिए): इस योजना का उद्देश्य ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान द्वारा आदिवासी और पीवीटीजी क्षेत्रों में घरों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों और सार्वजनिक संस्थानों को बिजली प्रदान करना है। जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

***